

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1780
जिसका उत्तर दिनांक 27.07.2022 को दिया जाना है

परमाणु संयंत्र

1780. श्री मारगनी भरत :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देश में प्रत्येक परमाणु संयंत्र की उपयोगावधि सहित परमाणु संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे बहु-सुरक्षा तंत्र का ब्यौरा क्या है और देश में एईआरबी आवश्यकताओं के अनुसार सभी परमाणु रिएक्टरों के लिए की जा रही आवधिक सुरक्षा समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) आंध्र प्रदेश में स्थापित परमाणु संयंत्र सहित देश में नए परमाणु संयंत्रों की स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) विवरण परिशिष्ट में संलग्न है।
- (ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा को मॉनीटर करने के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के अंदर संरक्षा समीक्षा समितियों और नियामक प्राधिकरण (परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद-एईआरबी) में संरक्षा समीक्षा समितियों को शामिल करते हुए एक बहुस्तरीय संरक्षा क्रियाविधि शामिल है। इसके अतिरिक्त, आवधिक संरक्षा समीक्षाएं, लेखा परीक्षाएं और निरीक्षण का एक ढाँचा संरक्षा के आश्वासन के लिए मौजूद है।

एईआरबी आवश्यकताओं के अनुसार, सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपी) की प्रत्येक 10 वर्ष में एक व्यापक आवधिक संरक्षा समीक्षा (पीएसआर) होना अपेक्षित है। पीएसआर के दौरान, कालप्रभावन, संयंत्र संशोधन, प्रचालन अनुभव के संचयी प्रभावों को देखते हुए तथा साथ ही वर्तमान संरक्षा मानकों/प्रथाओं से तुलना करते हुए संयंत्र की संरक्षा का मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यक उन्नयनों को अभिनिर्धारित किया जाता है। इन समीक्षाओं और प्रचालन अनुभव प्रतिपुष्टि के आधार पर, आवश्यक उन्नयन किए जाते हैं और नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अनुरक्षण संरक्षा की दृष्टि से अत्याधुनिक तरीके से किया जाता है।

(ग) वर्तमान में, 8700 मेगावाट की कुल क्षमता वाले ग्यारह नाभिकीय विद्युत रिएक्टर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, 7000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले दस रिएक्टरों के लिए पूर्व-परियोजना गतिविधियां आरम्भ की गई हैं। कोव्वडा, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित रिएक्टरों के संबंध में, स्थल पर पूर्व-परियोजना गतिविधियां और व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए मेसर्स वेस्टिंगहाउस (डब्ल्यूईसी), यूएसए के साथ चर्चा चल रही है।

रिएक्टर और स्थल	क्षमता (मेगावाट)	आयु (वर्ष में)
टीएपीएस-1, तारापुर, महाराष्ट्र	160	52.7
टीएपीएस-2, तारापुर, महाराष्ट्र	160	52.7
टीएपीएस-3, तारापुर, महाराष्ट्र	540	15.9
टीएपीएस-4, तारापुर, महाराष्ट्र	540	16.8
आरएपीएस-1, रावतभाटा, राजस्थान	100	48.6
आरएपीएस-2, रावतभाटा, राजस्थान	200	41.3
आरएपीएस-3, रावतभाटा, राजस्थान	220	22.1
आरएपीएस-4, रावतभाटा, राजस्थान	220	21.6
आरएपीएस-5, रावतभाटा, राजस्थान	220	12.4
आरएपीएस-6, रावतभाटा, राजस्थान	220	12.3
एनएपीएस-1, नरौरा, उत्तर प्रदेश	220	31.5
एनएपीएस-2, नरौरा, उत्तर प्रदेश	220	30.0
एमएपीएस-1, कल्पक्कम, तमिलनाडु	220	38.5
एमएपीएस-2, कल्पक्कम, तमिलनाडु	220	36.3
केकेएनपीपी-1, कूडनकुलम, तमिलनाडु	1000	7.5
केकेएनपीपी-2, कूडनकुलम, तमिलनाडु	1000	5.3
केएपीएस-1, काकरापार, गुजरात	220	29.2
केएपीएस-2, काकरापार, गुजरात	220	26.9
कैगा-1, कैगा, कर्नाटक	220	21.7
कैगा-2, कैगा, कर्नाटक	220	22.3
कैगा-3, कैगा, कर्नाटक	220	15.2
कैगा-4, कैगा, कर्नाटक	220	11.5